रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 799] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2017/भाद्र 31, 1939
No. 799] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2017/BHADRA 31, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

सं. 30 /2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1198(अ).—केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, माल की अंतरराज्यिक पूर्तियों पर, जिनका विवरण निम्न तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, जो उक्त तालिका के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, को नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है ।

तालिका

क्रम सं.	अध्यायशीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0402	मक्खनीय दूध चूर्ण या सांद्रित दूध	केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (2017 का 12) की धारा 25 की उप-धारा (4) के अनुसार किसी सुभिन्न व्यक्ति को दूध के उत्पादन में उपयोग के लिए [डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण के लिए] आपूर्ति की जाती है, तथा मक्खनीय दूध चूर्ण या सांद्रित दूध की आपूर्ति के लिए नहीं ।

स्पष्टीकरण:

(i) "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

[फा. सं. 354/247/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2017

No. 30/2017-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1198(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council, hereby exempts inter-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), from the whole of the integrated tax leviable thereon under section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), subject to the condition specified in column (4) of the Table below, namely:—

TABLE

Sl. No.	**Tariff item, sub-heading, heading or Chapter**	**Description of Goods**	**Condition**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	0402	Skimmed milk powder, or concentrated milk.	When supplied to a distinct person as per sub-section (4) of section 25 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), for use in production of milk [for distribution through dairy cooperatives] and not for further supply of skimmed milk powder, or concentrated milk as such.

Explanation:

(1) In this notification, "tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

[F. No. 354/247/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.22 22:40:37 +05'30'